न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 20/2018

अपीलांट

1. पेमाराम पुत्र भैरा के का.मु.
   1/1 बुधा पुत्र पेमा
   1/2 भंवरी पुत्री पेमा
   1/3 झणकारी पुत्री पेमा, जातिगण कुम्हार, निवासीगण बिरोल, तहसील जैतारण जिला पाली(राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. रावत पुत्र भैरा के का.मु
   1/1 बगदाराम पुत्र रावतराम
   1/2 सुगनाई पत्नी रावतराम, जातिगण कुमावत, निवासीगण बिरोल, तहसील जैतारण, जिला पाली(राजत्र)
   1/3 ढगली देवी पुत्री रावतराम पत्नी पूनारामजी, जाति कुमावत, निवासी कारोलिया
   1/4 सुखीदेवी पुत्री रावतरामजी पत्नी उम्मेदारामजी, जाति कुमावत, निवासी रामावास कलां
   1/5 माडकी देवी पुत्री रावतराम पत्नी भोमाराम, जाति कुमावत, निवासी कारोलिया
   1/6 भालकी देवी पुत्री रावतराम पत्नी सरदारराम, जाति कुमावत, निवासी रामावास कलां
   1/7 उगमादेवी पुत्री रावतराम पत्नी भीकाराम, जाति कुमावत, निवासी कारोलिया
2. पेमा पुत्र भैरा के कायम मुकाम
   2/1 पुखा पुत्र पेमा
   2/2 राधा पत्नी पेमा
3. गोपा पुत्र भैरा के का.मु.
   3/1 पुना पुत्र गोपा
   3/2 मोहनलाल पुत्र गोपा
   3/3 रतना पुत्र गोपा
   3/4 गैरकी पुत्री गोपा
   3/5 सुखडी पुत्री गोपा
   3/6 चुनकी पुत्री गोपा
   3/7 शांति पुत्री गोपा
   3/8 सायरी पत्नी गोपा, समस्त जातिगण कुम्हार, निवासीगण बिरोल, तहसील जैतारण, जिला पाली
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जैतारण तहसील जैतारण, जिला पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री मनोहरदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री जगदीश सोलंकी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/7
3. श्री सुरेश चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 से 3/7
4. शेष रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित
5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 05/2/2020

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 16/2003 बउनवान रावत पुत्र भैरा के का.मु. बनाम पेमा पुत्र भैरा के का.मु. में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 08.01.2014 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 01.02.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी.पी.सी के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 18.12.2017 के संबध में अपीलांटगण की कभी सहमति नहीं रही एवं न ही अपीलांट के उक्त मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर है। तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.12.2017 की मौका रिपोर्ट अपीलांटगण को मुख्य कॉमर्शियल ऐरिया से वंचित किये जाने के उदेश्य से बनाई गई। अपीलांट को मुख्य रोड से हटाकर मात्र लिंक रोड पर धकेल दिया गया है। पैतृक भूमि के प्रत्येक खसरे का बंटवाडा एक ही खाते के आधार पर साथ होना चाहिये तथा एक ही खाते का बंटवाडा अलग अलग दावो के आधार पर नहीं किया जा सकता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित बंटवाडे में खसरा नंबर 295 का कोई बंटवाडा नहीं हुआ। उक्त खसरे को सामुदायिक रूप से अलग रख दिया गया एवं उक्त खसरे का जिक्र तक नहीं किया गया है। जबकि उक्त खसरे में सभी पक्षकारान के मकान बने हुए है, जिससे भविष्य में उक्त खसरे के बंटवाडे को लेकर विवाद उत्पन्न होने की पूर्णतया आंशका है। उक्त परिपेक्ष्य में अपीलांट द्वारा सम्पूर्ण खसरा नंबरान का विधि सम्मत बंटवाडा किये जाने हेतु अपीलांट द्वारा मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य रेकर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अत अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य

एवं दस्तावेजी साक्ष्य रेकर्ड पर लिये जाने का आदेश फरमावे। उसके पश्चात मूल अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/7 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बिरोल, पटवार हल्का बिरोल, तहसील जैतारण की कृषि भूतिम मय बेरा के खसरा नंबर 294 रकबा 10 बीघा बिस्वा, खसरा नंबर 295 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 301 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 302 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 305 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 306 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 307 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 311 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 315 रकबा 0.08 बीघा, कुल खसरा नंबर 9 रकबा 44.15 बीघा एवं खसरा नंबर 102 रकबा 7.15 बीघा एंव खसरा नंबर 296 रकबा 0.01 बीघा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 297 रकबा 0.18 बीघा किस्म गै.मु. बेरा गोरवा, कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.19 बीघा की कुल खसरा 12 रकबा 53.09 बीघा किस्म चाही प्रथम एवं गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 313 रकबा 0.9 बीघा किस्म गै.मु, बेरा ढीमडी, खसरा नंबर 314 रकबा 0. 06 बीघा किस्म गै.मु. सडक, कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.15 बीघा के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया वह एकतरफा एवं बिना अपीलांटगण को सूचित किये अपीलांटगण की गैर हाजिरी में तैयार किया गया। जबकि कानूनन बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय सभी पक्षकारान उपस्थिति होना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10.10.2017 से यह स्पष्ट है कि बंटवाडा प्रस्ताव पर एतराज होने से उक्त बंटवाडा प्रस्ताव को खारिज कर प्रकरण में आगामी पेशी मुकर्रर की गई। इस बीच रावताराम के कायम मुकाम द्वारा आदेशिका दिनांक 10.10.2017 के विरूद्ध माननीय राजस्व मंडल अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, जो कि माननीय राजस्व मंडल में विचाराधीन थी, किन्तु उसके बावजूद तहसीलदार व पटवारी द्वारा मिलावट कर दिनांक 18.12.2017 को बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया, जो कि पूर्णतया अवैधानिक था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.12.2017 को प्रस्तुत बंटवाडा रिपोर्ट हेतु पटवारी, आर.आई व तहसीलदार मौके पर नहीं गये एवं न ही भौतिक रूप से जमीन को देखा गया, न ही नक्शा नजरी बनाते वक्त प्रभावित व्यक्तियों के हस्ताक्षर लिये गये न स्वतंत्र व्यक्तियो की साक्ष्य डाली गई, केवल मात्र औपचारिकता पूरी करने हेतु कार्यालय में बैठकर उक्त मौका रिपोर्ट तैयार की गई। अपीलांटगण द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के संबध में दिनांक 29.01.2018 को एतराज प्रस्तुत किया गया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने एतराज को नजरअंदाज करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव में राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 का पूर्णतया उल्लघंन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद पत्र संख्या 16/2003 में हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध में प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.01.2014 को पारित की जाकर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किये जाने बाबत तहसीलदार जैतारण को अधिकृत किया गया था। तत्पश्चात अपीलांट पेमाराम के कायम मुकाम की ओर से उक्त डिक्री के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 54/2015 प्रस्तुत की गई, जिसे हाजा न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 04.11.2015 द्वारा खारिज किया गया, साथ ही डिक्री पर्चा तैयार किया गया। हाजा न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट बुद्धाराम वगैरह ने माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 7212/2015 प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित समस्त निर्णयो को अपास्त कराने का निवेदन किया, जिस पर माननीय राजस्व मंडल की खंडपीठ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.10.2016 द्वारा खारिज किया गया। माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष सिविल रिट संख्या 14421/2016 प्रस्तुत की गई, जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 08.12.2016 द्वारा खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित समस्त निर्णयो का यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया। अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध कोई चाराजोई नहीं की गई, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री अंतिम रूप से निर्णीत हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समय समय पर दिये गये आदेशो की पालना में तहसीलदार जैतारण ने मौके पर जाकर विधिक प्रावधानो के अनुसार बंटवाडा फर्द दिनांक 23.01.2017 को तैयार की, जिस पर अपीलांट द्वारा ऐतराज किये जाने के पश्चात दिनांक 23.03.2017 को पुनः तहसीलदार जैतारण द्वारा बंटवाडा रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर अपीलांट सहित सभी पक्षकारो के हस्ताक्षर है। उसके पश्चात इस पालना रिपोर्ट पर पुनः अपीलांट द्वारा ऐतराज किया गया, जिस पर अपीलांट के निवेदन पर दिनांक 18.12.2017 को तहसीलदार जैतारण द्वारा मौके पर जाकर पक्षकारो द्वारा उठाये गये आक्षेपो को सुनकर उनका निस्तारण करते हुये पालना रिपोर्ट तैयार की गई, उक्त पालना रिपोर्ट भी सभी पक्षकारो की सहमति से तैयार की गई एवं नियमानुसार बंटवाडा किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिससे समस्त पक्षकार पाबंद है। तहसीलदार जैतारण द्वारा नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए दिनांक 18.12.2017 को बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त खसरा नंबर 295 की भूमि अलग–अलग बंटी हुई होकर उस पर पक्षकारो के आवास रहवास बने हुये तथा मवेशी बांधने के अलग अलग बाडे आये हुये है। इस प्रकार से आवास रहवास व बाडे की भूमि होने से उक्त केवल राजस्व रेकर्ड में सामलाती है एवं मौके पर अलग अलग बटी हुई है। उक्त खसरा नंबर पर मकान बने हुए होना अपीलांट स्वंय ने मंजूर किया है। तथा उक्त मकान सभी के अलग–अलग बने हुए है। ऐसी परिस्थितियो में अपीलांट प्रकरण के इस स्तर पर कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं कर सकता है एवं न ही ऐसे कोई दस्तावेजात रेकर्ड पर लिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जा सकते है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। इसके पश्चात वकील रेस्पोडेन्ट ने प्रकरण में गुणवागुण पर बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/7 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बिरोल, पटवार हल्का बिरोल, तहसील जैतारण की कृषि भूतिम मय बेरा के खसरा नंबर 294 रकबा 10 बीघा बिस्वा, खसरा नंबर 295 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 301 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 302 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 305 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 306 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 307 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 311 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 315 रकबा 0.08 बीघा, कुल खसरा नंबर 9 रकबा 44.15 बीघा एवं खसरा नंबर 102 रकबा 7.15 बीघा एंव खसरा नंबर 296 रकबा 0.01 बीघा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 297 रकबा 0.18 बीघा किस्म गै.मु. बेरा गोरवा, कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.19 बीघा की कुल खसरा 12 रकबा 53.09 बीघा किस्म चाही प्रथम एवं गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 313 रकबा 0.9 बीघा किस्म गै.मु, बेरा ढीमडी, खसरा नंबर 314 रकबा 0.06 बीघा किस्म गै.मु. सडक, कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.15 बीघा के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद पत्र संख्या 16/2003 में हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध में प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.01.2014 को पारित की जाकर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किये जाने बाबत तहसीलदार जैतारण को अधिकृत किया गया था। तत्पश्चात अपीलांट पेमाराम के कायम मुकाम की ओर से उक्त डिक्री के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 54/2015 प्रस्तुत की गई, जिसे हाजा न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 04.11.2015 द्वारा खारिज किया गया, साथ ही डिक्री पर्चा तैयार किया गया। हाजा न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट बुद्धाराम वगैरह ने माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 7212/2015 प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित समस्त निर्णयो को अपास्त कराने का निवेदन किया, जिस पर माननीय राजस्व मंडल की खंडपीठ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.10.2016 द्वारा खारिज किया गया। माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष सिविल रिट संख्या 14421/2016 प्रस्तुत की गई, जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 08.12.2016 द्वारा खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित समस्त निर्णयो का यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया। अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध कोई चाराजोई नहीं की गई, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री अंतिम रूप से निर्णीत हो चुकी है। अपीलांट पेमाराम के कायम मुकाम मे से केवल अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद संख्या 16/2003 बउनवान रावत बनाम पेमाराम वगैरा में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.01.2014 को निरस्त करने बाबत उक्त अपील में उल्लेख किया है जो कि पूर्णतया विधि विरूद्ध है, क्योंकि प्राथमिक डिक्री बाबत पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय से बुधा की रिट खारिज हो चुकी है। इसके अतिरिक्त जहां तक बंटवाडा प्रस्ताव का प्रश्न है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार जैतारण को अधिकृत किया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार जैतारण मौके पर जाकर विधिक प्रावधानो के अनुसार बंटवाडा फर्द दिनांक 23.01.2017 को तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर अपीलांट द्वारा ऐतराज किये जाने के पश्चात पुनः बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किये जाने बाबत दिनांक 09.03.2017 को आदेश पारित किये गये, जिसकी पालना में दिनांक 23.03.2017 को पुनः तहसीलदार जैतारण द्वारा बंटवाडा रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर अपीलांट सहित सभी पक्षकारो के हस्ताक्षर है। साथ ही मौका स्थिति के फोटोग्राफ तैयार किये गये एवं इसी पालना रिपोर्ट दिनांक 31.03.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। उसके पश्चात इस पालना रिपोर्ट पर पुनः अपीलांट द्वारा ऐतराज किया गया, जिस पर अपीलांट के निवेदन पर दिनांक 18.12.2017 को स्वंय मौके पर जाकर सभी पक्षो को नोटिस देने के बाद सभी खातेदारो की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्ताव की रिपोर्ट की। इस संबध में बुधा का नोटिस भी तामिल था एवं बुधा स्वंय मौके पर उपस्थित था, किन्तु बुधा ने अपने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया एवं बंटवाडा प्रस्ताव में किसी प्रकार की कोई आपत्ति ऐतराज होने का निवेदन किया, वक्त सुनवाई दिनांक 29.01.2018 को बुधा ने एक ऐतराज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें खसरा नंबर .311 व 315 व 295 के बाबत कोई ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तीनो मौका रिर्पोटो में खसरा नंबर 295 बाबत अपीलांट बुधा ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई एंव केवल मात्र अपील के बहस के समय मौखिक आपत्ति उठाई है जो खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए अपीलांट को सुनवाई का पूर्णतया अवसर देते हुए राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए तैयार किये बंटवाडे प्रस्ताव के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी.पी.सी प्रस्तुत कर दस्तोवज रेकर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया है, उक्त दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन स्पष्ट है कि अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेज के रूप में अपीलांट द्वारा प्रस्तावित मिट्स एंड बाउण्ड्स के आधार पर प्रस्तावित बंटवाडा एवं पूर्व में 193 में किया गया बंटवाडे की फोटो प्रति प्रस्तुत की है, किन्तु उक्त प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव पर किसी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त बंटवाडा प्रस्ताव हेतु समस्त पक्षकारान की सहमति नहीं हैं एवं न ही इस संबध में कोई लिखित बंटवाडा किया हुआ है। केवल मात्र अपने स्तर पर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसे रेकर्ड पर लिया जाना उचित नहीं है। अत अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश

41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी.पी.सी अस्वीकार किया जाता है। अब जहां तक प्रकरण में गुणवागुण पर निर्णय पारित किये जाने का प्रश्न है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/7 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बिरोल, पटवार हल्का बिरोल, तहसील जैतारण की कृषि भूतिम मय बेरा के खसरा नंबर 294 रकबा 10 बीघा बिस्वा, खसरा नंबर 295 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 301 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 302 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 305 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 306 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 307 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 311 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 315 रकबा 0.08 बीघा, कुल खसरा नंबर 9 रकबा 44.15 बीघा एवं खसरा नंबर 102 रकबा 7.15 बीघा एंव खसरा नंबर 296 रकबा 0.01 बीघा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 297 रकबा 0.18 बीघा किस्म गै.मु. बेरा गोरवा, कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.19 बीघा की कुल खसरा 12 रकबा 53.09 बीघा किस्म चाही प्रथम एवं गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 313 रकबा 0.9 बीघा किस्म गै.मु, बेरा ढीमडी, खसरा नंबर 314 रकबा 0.06 बीघा किस्म गै.मु. सडक, कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.15 बीघा के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। प्रकरण में अपीलांट पेमाराम के कायम मुकाम की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 08.01.2014 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 54/2015 प्रस्तुत की गई, जिसे हाजा न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 04.11.2015 द्वारा खारिज किया गया, साथ ही डिक्री पर्चा तैयार किया गया। हाजा न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट बुद्धाराम वगैरह ने माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 7212/2015 प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित समस्त निर्णयो को अपास्त कराने का निवेदन किया, जिस पर माननीय राजस्व मंडल की खंडपीठ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.10.2016 द्वारा खारिज किया गया। माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष सिविल रिट संख्या 14421/2016 प्रस्तुत की गई, जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 08.12.2016 द्वारा खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित समस्त निर्णयो का यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया। अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध कोई चाराजोई नहीं की गई, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री अंतिम रूप से निर्णीत हो चुकी है। अपीलांट पेमाराम के कायम मुकाम मे से केवल अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद संख्या 16/2003 बउनवान रावत बनाम पेमाराम वगैरा में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.01.2014 को निरस्त करने बाबत उक्त अपील में उल्लेख किया है, जबकि प्राथमिक डिक्री के संबध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से बुधा की रिट खारिज हो चुकी है। जिससे इस संबध में हाजा न्यायालय द्वारा किसी प्रकार अनुतोष दिया जाना कानूनन उचित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त जहां तक बंटवाडा प्रस्ताव का प्रश्न है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार जैतारण को अधिकृत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार जैतारण मौके पर जाकर विधिक प्रावधानो के अनुसार बंटवाडा फर्द दिनांक 23.01.2017 को तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर अपीलांट द्वारा ऐतराज किये जाने के पश्चात पुनः बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किये जाने बाबत दिनांक 09.03.2017 को आदेश पारित किये गये, जिसकी पालना में दिनांक 23.03.2017 को पुनः तहसीलदार जैतारण द्वारा बंटवाडा रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर अपीलांट सहित सभी पक्षकारो के हस्ताक्षर है। साथ ही मौका स्थिति के फोटोग्राफ तैयार किये गये एवं इसी पालना रिपोर्ट दिनांक 31.03.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। उसके पश्चात इस पालना रिपोर्ट पर पुनः अपीलांट द्वारा ऐतराज किया गया, जिस पर सभी खातेदारो को नोटिस जारी किये गये, एवं अपीलांट के निवेदन पर दिनांक 18.12.2017 को स्वंय मौके पर जाकर सभी पक्षो को नोटिस देने के बाद सभी खातेदारो की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्ताव की रिपोर्ट की। उक्त मौका रिपोर्ट पर बुधा ने हस्ताक्षर करने से इंकार किया, उसके पश्चात वक्त सुनवाई दिनांक 29.01.2018 को बुधा ने एक ऐतराज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें खसरा नंबर 311 व 315 व 295 के बाबत कोई ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तीनो मौका रिर्पोटो में खसरा नंबर 295 बाबत अपीलांट बुधा ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई एंव केवल मात्र अपील के बहस के समय मौखिक आपत्ति उठाई है जो हाजा न्यायालय के समक्ष उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए अपीलांट को सुनवाई का पूर्णतया अवसर देते हुए राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए तैयार किये बंटवाडे प्रस्ताव के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे हमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 16/2003 बउनवान रावत पुत्र भैरा के का.मु. बनाम पेमा पुत्र भैरा के का.मु. में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 08.01.2014 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 01.02.2018 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 05/09/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नागिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली